भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2953
15.12.2021 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स योजना को पुन: बहाल करना

2953. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को पुन: बहाल करने तथा 2025-26 तक जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस योजना के तहत सांसदों द्वारा अनुसंशित तथा डिजिटली समर्थ बनाने वाले उपकरण के रूप में स्मार्ट फोन को टिकाऊ परिसम्पत्ति के रूप में शामिल करने पर विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और
(ड.) कोविड-19 के परिदृश्य के बाद जरूरतों के अनुरूप एमपीलैड्स के अंतर्गत अन्य उपाए तथा जारी दिशा-निर्देश क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी हाँ।

(ख) सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के 17417.00 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, एक किस्त में 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से एमपीलैड्स निधि की निर्मुक्ति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) को पुनःबहाल करने और 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद की वार्षिक हकदारी के साथ, वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एमपीलैड्स को जारी रखने का अनुमोदन दिया है।

(ग) और (घ) सांसद को कार्यों की संस्तुति में समर्थ बनाने हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) दिशानिर्देशों में नए क्षेत्रों और सेक्टर का समावेशन एक गतिशील प्रक्रिया है। मंत्रालय हितधारकों द्वारा प्राप्त नए सुझावों की जांच करता है और यदि सुझाव एमपीलैड योजना के लक्ष्य के साथ मेल खाता है और सुसंगत पाया जाता है तो उनको विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करके एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में शामिल किया जाता है।

(ड.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 24.03.2020, 30.04.2021 और 13.05.2021 (अनुबंध-I, II और III) के परिपत्र सं. ई-4/2020-एमपीलैड्स(भाग) द्वारा एमपीलैड योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं संबंधी उपकरण की खरीद तथा स्वयं के ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना को एकबारगी व्यवस्था की अनुमति दी गई है।

******

अनुबंध-I
<u>अति तत्काल</u>

परिपत्र सं.-ई-4/2020-एमपीलैड्स (पार्ट)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग

ईस्ट ब्लॉक-6, लेवल-5
आर. के. पुरम, नई दिल्ली -110066
दिनांक: 24 मार्च, 2020

विषय: कोविड-19 के संबंध में जांच, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत एक-बारगी राशि का वितरण

हाल ही में माननीय सांसदो से इस सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि कोविड-19, जिसे डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक महामारी घोषित किया है, जैसी विश्वव्यापी महामारी के विरुद्ध मुक़ाबला करने के लिए चल रहे संघर्ष में सहयोग देने के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत चिकित्सीय परीक्षण और स्क्रीनिंग हेतु सुविधाओं को शामिल किया जाए। केंद्र सरकार इसके नियंत्रण में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 के ख़तरे को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांसदो, द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर यह निर्णय लिया है कि ज़िला प्राधिकरण कोविड-19 को रोकने और उसका पता लगाने के लिए अपेक्षित चिकित्सीय जाँच, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं हेतु एमपीलैड्स निधियों का उपयोग कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों/चिकित्सालयों के लिए अनुज्ञेय कम से कम पाँच लाख रुपये की लागत वाले चिकित्सीय उपकरणों की ख़रीद संबंधी दिशानिर्देशों में छूट देते हुए निम्नलिखित मदों की ख़रीद/प्रतिस्थापना के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत एक-बारगी वितरण प्रदान करने का निर्णय किया है:

क. किसी व्यक्ति का तापमान दूर से रिकॉर्ड करने और पता लगाने लगाने के लिए डॉक्टरों और चिकित्सकीय कर्मियों को सुसाध्य बनाने के लिए इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर (गैर-संपर्क)।

ख. संचरण के खतरे को कम करते हुए दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए चिकित्सीय कर्मियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और सक्षम बनाने के हेतु उनके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट ।

ग. रेलवे स्टेशनों, हवाईअड्डों और अन्य प्रवेश मार्गों पर उचित दूरी से तापमान का पता लगाने के लिए थर्मल इमैजनिंग स्कैनर अथवा कैमरे।

घ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च द्वारा अनुमोदित कोरोना टेस्टिंग किट, और

ङ. अनुमोदित सुविधाओं के अंतर्गत आईसीयू वेंटीलेटर और आइसोलेशन/एकांतवास वॉर्ड्ज़

च. चिकित्सकीय कर्मियों के लिए फेस मास्क, दस्ताने और सेनिटाइजर

छ. कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुशंसित कोई अन्य चिकित्सकीय उपकरण

3. संसद सदस्यों द्वारा की गयी सिफ़ारिशों के आधार पर ज़िला प्राधिकारी को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपर्युक्त उपकरणों/सुविधाओं की ख़रीद करनी चाहिए:

क. कोविड-19 हेतु ख़रीद किए जाने वाले/प्रतिस्थापित किए जाने वाले उपर्युक्त उपकरण/सुविधाओं का तकनीकी विन्यास और विशिष्टीकरण पूर्णतया कोविड-19 हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

ख. उपर्युक्त उपकरणों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय करने/प्रतिस्थापित करने के लिए ज़िला प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा।

ग. जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को एमपीलैड्स के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में उपर्युक्त सुरक्षात्मक उपकरणों की ख़रीद की उपयोगकर्ता एजेंसी /संरक्षक के रूप में नामित किया जाएगा।

घ. कोविड-19 के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक उपकरणों की ख़रीद में अनिवार्य लेखा परीक्षा का आदेश देने, जब भी उचित और व्यवहार्य लगे, की ज़िम्मेवारी ज़िला प्राधिकारी की होगी।

ङ. उपर्युक्त किसी भी वस्तु के संबंध में कोई आवर्ती व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।

च. इस एक-बारगी वितरण के अंतर्गत उपकरणों की खरीद के लिए व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सीमित रहेगा । किसी भी परिस्थिति में,कोई भी व्यय अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए जाने/भुगतान स्थगित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता हैं ।

(तनवीर क़मर मोहम्मद)
संयुक्त सचिव (एमपीलैड्स)
tq.mohammad@gov.in

सेवा में
1. राज्यो/ संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव।
2. निगम आयुक्त दिल्ली /कोलकत्ता/चेन्नई/मुंबई।
3. सभी जिला कलेक्टर /जिला मजिस्ट्रेट /उपायुक्त ।

सूचनार्थ प्रति:
1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा के निजी सचिव।
2. माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (प्रभारी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निजी सचिव ।
4. संसद के सभी माननीय सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा)।
5. सचिव/महानिदेशक/अपर सचिव/उप महानिदेशक (प्रशासन) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
6. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा संबधी समिति, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा संबधी समिति, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. एमपीलैड्स प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सभी संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी।
9. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

अनुबंध-II

परिपत्र सं. ई-4/2020- एमपीलैड्स(पार्ट)
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग
******

पूर्वी खंड-6, लेवल-5,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांकः 30 अप्रैल, 2021

विषयः एमपीलैड्स योजना अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में तत्काल उपाय के रूप में सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त समय के संबंध में।

माननीय संसद सदस्यों और जिला अधिकारियों से एमपीलैड्स के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए एकमुश्त छूट हेतु हाल ही में संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिसे इस मंत्रालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24 03 2021 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे केवल वित्त वर्ष 2020-21 तक प्रतिबंधित रखने का इरादा था। इसी क्रम में, सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए एमपीलैड्स से निधियों के उपयोग की अनुमति देने के संदर्भ भी प्राप्त हो रहे हैं।

2. भयावह कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मानव जीवन के लिए निरंतर खतरे को ध्यान में रखते हुए,

कोविड -19 के संबंध में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत एकमुश्त छूट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ***एकमुश्त उपाय के रूप में वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।***

3. इस बात को समझा जाए कि वर्तमान में एमपीलैड्स को अपरिचालित कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बजटीय परिव्यय को पहले ही कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय को निपटान के लिए सौंपा जा चुका है।

इसलिए, माननीय सदस्यों द्वारा कोविड-19 के संबंध में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र/संसद सदस्य और जिला प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों का सम्मान और उचित मूल्यांकन करते हुए नोडल जिला प्राधिकरण के बचत खाते में उपलब्ध निधि से की जा सकती हैं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(राज कृष्ण भोरिया)
निदेशक (एमपीलैड्स)

सेवा में,

1. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नोडल सचिव।
2. दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई के निगम आयुक्त।
3. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सभा के निजी सचिव।
2. माननीय सभापति, लोक सभा के निजी सचिव।
3. माननीय राज्यमंत्री (प्रभारी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निजी सचिव।
4. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
5. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान निजी सचिव।
6. सचिव/महानिदेशक (सी एंड ए)/अपर सचिव/अपर सचिव और एफए/डीडीजी (प्रशासन)/ निदेशक(एमपीलैड्स)/उप सचिव (एमपीलैड्स)।
7. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, लोक सभा सचिवालय।
8. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, राज्य सभा सचिवालय।
9. सभी संबंधित अधिकारी/ एमपीलैड्स शाखा के सभी अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
10. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

अनुबंध-III

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग

शुद्धिपत्र

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-6 आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066, दिनांक: 13 मई, 2021

विषयः एमपीलैड्स योजना अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में तत्काल उपाय के रूप में सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं की खरीद तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त समय के संबंध में।

परिपत्र सं.ई-4/2020-एमपीलैड्स (भाग): इस मंत्रालय के दिनांक 30.04.2021 के समसंख्यक परिपत्र में आंशिक आशोधन करते हुए उल्लिखित परिपत्र के प्रारंभिक पैरा में कथित तिथि को 24.03.2021 के स्थान पर **24.03.2020** के रूप में पढ़ा जाएगा।

(राज कृष्ण भोरिया)
निदेशक (एमपीलैड्स)

सेवा में,

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव।
2. दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई के निगम आयुक्त।
3. सभी जिला क्लेकटर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य सभा के निजी सचिव।
2. माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निजी सचिव।
3. माननीय राज्यमंत्री (प्रभारी), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निजी सचिव।
4. संसद के सभी माननीय सदस्य (राज्य सभा/लोक सभा)
5. मंत्रिमंडल सचिव के प्रधान निजी सचिव।
6. सचिव/महानिदेशक (सी एंड ए)/अपर सचिव/अपर सचिव और एफए/डीडीजी (प्रशासन)/ निदेशक(एमपीलैड्स)/उप सचिव (एमपीलैड्स)।
7. अपर निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, लोक सभा सचिवालय।
8. निदेशक, एमपीलैड्स शाखा समिति, राज्य सभा सचिवालय।
9. सभी संबंधित अधिकारी/ एमपीलैड्स शाखा के सभी अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
10. एनआईसी- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एमपीलैड्स पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

*****